DATE: 23/09/20

CLASS: B.A.(H) PART-2ND

SUBJECT: POLITICAL SCIENCE

PAPER: III (INDIAN GOVERNMENT * POLITICS)

CH: 09 (SUPREME COURT: JURISDICTION)

LECTURE NO.- 17 (SEVENTEEN)

By,
OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPTT. OF POL. SCIENCE
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
LNMU, DARBHANGA

सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता
Independence of Supreme Court

विधि के शासन को समुचित तरीके से चलाने के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण होती है एक स्वतंत्र न्यायपालिका ही निष्पक्ष न्याय प्रदान कर सकती है। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता बनाए रखने हेतु निम्नलिखित प्रावधान किया गया है —

(1) न्यायाधीशों की नियुक्ति —

वर्तमान समय में न्यायाधीशों की नियुक्ति 'कॉलेजियम प्रणाली' से किया जाता है। इसमें मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय के चार अन्यवरिष्ठ न्यायाधीश अर्थात पाँच वरिष्ठीय एक मंडल (collegium) होता है, जिसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इस नियुक्ति में कार्यपालिका का हस्तक्षेप न के बराबर है।

(2) कार्यकाल की सुरक्षा :—

न्यायाधीशों को 65 वर्ष की आयु तक कार्य करने की सुरक्षा दी गई है, जिसे कार्यपालिका या विधायिका नहीं छीन सकती। इन्हें इनके पद से हटाने का एकमात्र तरीका साबित कदाचार के आधार पर दोनों सदनों के विशेष बहुमत है, जो कि अत्यंत कठिन है।

Scanned with CamScanner

(3) वेतन आदि की सुरक्षा —

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा न्यायालय के सभी प्रशासनिक खर्चों को अनुच्छेद 146 के तहत भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित किया गया है।

(4) अवमानना पर दंड की शक्ति :—

अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्रदान करता है।

(5) कर्मचारी वर्ग पर नियन्त्रण —

न्यायालय को कर्मचारी वर्ग पर नियन्त्रण के अभाव में उसकी स्वतंत्रता को आघात पहुँच सकता है। अतः सर्वोच्च न्यायालय को अपने कर्मचारी वर्ग पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त है। अनु० 146 के तहत मुख्य न्यायाधीश को शक्ति दी गई है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों व सेवकों की नियुक्ति कर सके। सेवा शर्तें भी न्यायालय द्वारा ही निर्धारित की जाती है।

(6) अधिकारिता में कटौती नहीं —

संसद को अनुच्छेद 138, 139 तथा 134(2) के तहत सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता को बढ़ाने की शक्ति तो दी गई है, किन्तु कम करने की नहीं।

(7) उन्मुक्तियाँ —

आधिकारिक क्षमता में किये गये न्यायाधीशों के निर्णय तथा कार्य आलोचना से परे हैं। संसद भी न्यायाधीशों के किन्हीं भी ऐसे कार्य पर, जिसे उन्होंने कर्तव्य पालन करते हुए किया है, विचार-विमर्श नहीं कर सकती।

Next —

Scanned with CamScanner

(8) 'सेवानिवृत्ति के बाद वकालत करने पर प्रतिबंध —
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति के बाद भारतीय क्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष वकालत पर संविधान द्वारा रोक लगाई गई है, ताकि न्यायाधीश निर्णय देते समय लोभ से बचे रहें। हालाँकि संविधान उन्हें राजनीतिक पदों या आयोगों से जुड़ी नियुक्तियों को स्वीकार करने से नहीं रोकता।

x —— x —— x —— x —— x

सम्भावित प्रश्न :

भारतीय संविधान के अन्तर्गत न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं?

Scanned with CamScanner